संख्या–534 /59–2–2014–146(खा)/2014

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2 लखनऊ। दिनांक 24 जुलाई, 2014

विषयः– खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को वित्तीय वर्ष 2014–15 के अवशेष आठ माह हेतु बोर्ड कार्मिकों के वेतन भत्ते आदि व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक 892/खा0ग्रा0बो0/लेखा–बजट/2014–15 दिनांक–11 जुलाई, 2014 एवं शासनादेश संख्या–254/59–2–2014–146 (खा)/2014 दिनांक–15 अप्रैल, 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम–1960 (यथा संशोधित) 1983 की धारा–23 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों को वेतन भत्ते आदि के खर्चो को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 35,62,98,000.00 (रूपया पैंतिस करोड़ बासठ लाख अट्ठानबे हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू023,75,32,000.00 (रूपया तेइस करोड़ पचहत्तर लाख बत्तिस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार अनुदान के रूप में दिये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि समय–समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्तीय नियमों के अधीन व्यय की जायेगी। धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न कर मासिक आवश्यकता के अनुसार संलग्न फॉट के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। प्रतिमाह व्यय की गयी धनराशि का व्यय–विवरण प्रपत्र बी0एम0– 6 में दो प्रतियों में शासन के खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2 तथा सचिव, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित इस शासनादेश के साथ संलग्न मानक मदों के समक्ष आवंटित धनराशि के अनुरूप किया जायेगा। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि वेतन मद में आवंटित धनराशि का उपयोग मात्र नियमित कार्मिकों के वेतन भुगतान में ही किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अनुसार निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद एवं अन्य को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

6. आहरण–वितरण अधिकारी प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने विषयक शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

7. उपर्युक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 की अनुदान संख्या–5 के लेखा शीर्ष "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर–105–खादी ग्रामोद्योग–03 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता–31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–2457/दस–2014–231/2014 दिनांक–22 जुलाई, 2014 में प्रदत्त निर्देश के कम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव

संख्या– 534 (1)/59–2–2014–146(खा)/2014 तद्दिनांकित–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6, वित्त (आय–व्ययक) अनुभा ।–1/2
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई–फ्लोर छठा तल योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।
9. वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से

N. Sri

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः 534 /59-2-2014-146(खा)/2014 दिनांक २५जुलाई, 2014 का संलग्नक

लेखाशीर्षक

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग (आयोजनेत्तर)

105- खादी ग्रामोद्योग

03- खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता

31-सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन)

(धनराशि रू0 हजार में)

क0सं0	मानक मद संख्या	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 के अवशेष आठ माह के व्ययों को वहन करने हेतु
1	1	वेतन	100548.00
2	3	मंहगाई भत्ता	95884.00
3	6	अन्य भत्ता	8733.00
		उपयोग-1	**205165.00**
4	4	यात्रा भत्ता	1167.00
5	5	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	167.00
6	30	अवकाश यात्रा भत्ता	67.00
7	8	कार्यालय व्यय	3567.00
8	9	विद्युत व्यय	1300.00
9	10	जलकर/जलप्रभार	300.00
10	11	लेखन सामग्री/फार्म छपाई	1333.00
11	12	कार्यालय फर्नीचर उपकरण मरम्मत	700.00
12	13	टेलीफोन व्यय	1000.00
13	15	गाड़ी अनुरक्षण एवं पेट्रोल	5933.00
14	16	व्यवसायिक एवं विशेष सेवा हेतु अनुदान	3934.00
15	17	किराया उपशुल्क कर एवं स्वामित्व	2833.00
16	7	मानदेय	733.00
17	2	मजदूरी	5200.00
18	18	अनुरक्षण	967.00
19	29	प्रकाशन	200.00
20	41	भोजन व्यय	333.00
21	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	133.00
22	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	333.00
23	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	800.00
24	51	वर्दी व्यय	33.00
25	49	चिकित्सा सुविधा	1334.00
		उपयोग-2	**32367.00**
		कुल योग वेतन एवं भत्ते हेतु अनुदान	**237532.00**

(रूपया तेइस करोड़ पचहत्तर लाख बत्तिस हजार मात्र)

N. Sw

(निर्मला श्रीवास्तव)

अनु सचिव,